

**राजस्थान सरकार**  
**वित्त विभाग**  
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2020

जयपुर, दिनांक : 20 सितम्बर, 2021

**परिपत्र**

विषय :- राजकीय व्यय में मितव्ययता।

राजकीय व्यय में मितव्ययता हेतु जारी परिपत्र दिनांक प.9(1)वित्त-1(1)आ.व्य./2012 दिनांक 18 अक्टूबर, 2019 के बिन्दु संख्या 3(i) को निम्नानुसार पुनः स्थापित किया जाता है।

3- नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति:-

(i) नवीन सृजित पदों, क्रमोन्नत पदों तथा रिक्त पदों पर नियुक्ति राजस्थान (लोक सेवाओं में नियुक्तियों का विनियमन एवं स्टाफ सुव्यवस्थीकरण) अधिनियम, 1999 (रेप्सर एक्ट) की पालना सुनिश्चित करते हुये वित्त विभाग की पूर्व सहमति से की जा सकेगी।

(डॉ. पृथ्वी)  
शासन सचिव, वित्त (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान सरकार।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
6. राजकीय उपक्रम ब्यूरो (सार्वजनिक उपक्रम विभाग), राजस्थान, जयपुर।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त राजकीय उपक्रम।
8. समस्त संयुक्त शासन सचिव/उप शासन सचिव, वित्त विभाग।
9. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलक्टर सहित)।
10. प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) को पाँच अतिरिक्त प्रतियों सहित।
11. तकनीकी निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी सूचनार्थ प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
2. रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, लोकायुक्त राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।

(बृजेश किशोर शर्मा)  
निदेशक, वित्त (बजट)

[08/2021]